संख्या: 12/2015/769 प्रो0/51-2015-14(14)/2015

प्रेषक,

इन्द राज सिंह,
उप सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ :दिनांक 18 मार्च, 2015

विषय:- राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 939/प्रोटोकाल-विविध/2014, दिनांक 11 अगस्त, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्नलिखित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रुपये 1,24,408-00 (रुपये एक लाख चौबीस हजार चार सौ आठ मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्रम सं0	मा0 राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि/वाहन संख्या/ देयक संख्या/दिनांक/खान-पान से संबंधित देयक संख्या	धनराशि
1-	मा0 न्यायमूर्ति श्री शिव कीर्ति सिंह, जज, मा0 उच्च न्यायालय, भारत सरकार, दिनांक 20-05-2014 से 21-05-2014 तक, वाहन संख्या: यू0 पी0-32, बी0 एसन0-3408, देयक संख्या-वी0 एन0 एस00-58, दिनांक 24-05-2014	रु 10,416-00
2-	मा0 न्यायमूर्ति श्री हेमन्त कुमार श्रीवास्तव , जज, मा0 उच्च न्यायालय, पटना, दिनांक 29-05-2014 से 31-05-2014 तक वाहन संख्या: यू0 पी0-32, इ0 एन0-3458, देयक संख्या-वी0 एन0 एस0-00, दिनांक रहित,	रु 7,818-00
3-	मा0 न्यायमूर्ति श्री वी0 एस0 चौहान , जज, मा0 उच्चतम न्यायालय, भारत, दिनांक 24-06-2014 से 25-06-2014 तक	रु 8,264-00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वाहन संख्या: यू0 पी0-32, इ0 एन0-3458, देयक संख्या-वी0 एन0 एस0-87, दिनांक 11-07-2014	
4-	डा0 पी0 एल0 पुनिया, मा0 अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, दिनांक 02-07-2014 से 03-2014, खान-पान से संबंधित देयक संख्या-420, वाहन संख्या: यू0 पी0-32, बी0 एन0-6117 देयक संख्या-वी0 एन0 एस0-86, दिनांक 04-07-2014	रु 1,142-00 रु 10,389-00
5-	डा0 पी0 एल0 पुनिया, मा0 अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, दिनांक 11-07-2014, खान-पान से संबंधित देयक संख्या-432, दिनांक 11-07-2014 से 13-07-2015 वाहन संख्या: यू0 पी0-32, बी0 एन0-5992 देयक संख्या-वी0 एन0 एस0-92 दिनांक 24-07-2014	रु 642-00 रु 11,465-00
6-	श्री उपेन्द्र कुशवाहा, समा0 केन्द्रीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, दिनांक 11-07-2014 से 12-07-2014 तक, खान-पान से संबंधित देयक संख्या-434, वाहन संख्या: यू0 पी0-32, बी0 एन0-6117, देयक संख्या-वी0 एन0 एस0-89, दिनांक 24-07-2014	रु 864-00 रु 5,824-00
7-	श्रीमती जोहरा चटर्जी, सचिव, कपडा मंत्री , भारत सरकार, दिनांक 15-07-2014 से 16-07-2014 तक, वाहन संख्या: यू0 पी0-65, बी0 एफ0-7570, देयक संख्या-5476 दिनांक 20-07-2014	रु 7,450-00
8-	मा0 न्यायमूर्ति श्री हेमन्त कुमार श्रीवास्जतव, जज, मा0 उच्च न्यायालय, पटना (बिहार) दिनांक 19-07-2014 से 20-07-2014 तक,	रु 4,827-00

http://shasanadesh.up.nic.in

	वाहन संख्या: यू0 पी0-32, दग्0 एन0-3458, देयक संख्या-वी0 एन0 एस0-93, दिनांक 24-07-2014	
9-	श्री कुलदीप शर्मा, मा0 अध्यक्ष , हरियाणा विधान सभा, दिनांक 27-07-2014, खान-पान से संबंधित देयक संख्या-544,	रु 486-00
10-	मा0 न्यायमूर्ति श्री जे0 चेलामेश्वर, जज, मा0 उच्चतम न्यायालय, भारत, दिनांक 26-07-2014 से 27-07-2014 तक खान-पान से संबंधित देयक संख्या-459 वाहन संख्या- यू0 पी0-63, टी-6363 देयक संख्या- वी0 एन0 एस-547, दिनांक 31-07-2014 तक	रु 1,559-00 रु 7,450-00
11-	श्री अजय कुमार त्रिपाठी, जज, मा0 उच्च न्यायालय, पटना, दिनांक 27-07-2014 से 29-07-2014 तक, वाहन संख्या- यू0 पी0-यू0 पी0-63, टी-6363,, देयक संख्या- 5479, दिनांक 31-07-2014 तक	रु 11,300-00
12-	मा0 न्यायमूर्ति, श्री अरुनेन्द्र कुमार, चेयरमैन रेवले बोर्ड, दिनांक 27-07-2014 से 28-07-2014 तक, वाहन संख्या- यू0 पी0-66, ए0 एल0-1415, देयक संख्या- 5478, दिनांक 31-07-2014	रु 9,850-00
13-	श्री सुधीर त्रिपाठी, मा0 उप निर्वाच आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, दिनांक 29-07-2014 से 01-08-2014 तक , खान-पान से संबंधित देयक संख्या-474, वाहन संख्या- यू0 पी0-63, टी-6363, देयक संख्या- वी0 एन0 एस0-5480, दिनांक 02-08-2014	रु 2,062-00 रु 15,150-00
14-	श्री श्रीपट नायक, मा0 केन्द्रीय मंत्री,, दिनांक 03-08-2014 से 04-08-2014 तक वाहन संख्या- यू0 पी0-63, टी-6363, देयक संख्या- 5481, दिनांक 05-08-2014	रु 7,450-00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(रुपये एक लाख चौबीस हजार चार सौं आठ मात्र)कुल योग	रु 1,24,408-00

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे है ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक -15 मूलदेयक ।

भवदीय

(इन्द्र राज सिंह)
उप सचिव ।

संख्या: 12/2015/769 (1)प्रो/51-2015-14(14)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभा-5,
3- कोषाधिकारी, वाराणसी ।
4- प्रबन्ध निदेशक , उ0 प्र0 राज्य सड्क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड्क परिवहन निगम, वाराणसी/इलाहाबाद ।
6- दास ट्रावेल्स, 10-ए, माल, वाराणसी कैण्ट-221001,
7- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से

(इन्द्र राज सिंह)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।